तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3599/2005/भरतपुर तोताराम बनाम मंगली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 13.11.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–07–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में प्रतिवादीगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् कमिश्नर नियुक्त कर विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब किये जाने को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने केवल मात्र दो लाईन में पारित नॉन–स्पीकिंग एवं नॉन–रिजण्ड आदेश से मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3599/2005/भरतपुर तोताराम बनाम मंगली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को पूर्णतया समझे बिना सरसरी तौर पर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को खारिज करने में तात्विक अनियमितता कारित की है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा वादीगण अप्रार्थीगण की एक इंच भूमि पर भी उनके पक्षकार काबिज नहीं है, ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट कमिश्नर के माध्यम से तलब किया जाना आवश्यक था ताकि न्यायालय को निर्णय पारित करने में सुविधा हो। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर निगराधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा मौका कमिश्नर नियुक्ति के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष मौका कमिश्नर नियुक्त तक मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के प्रार्थनापत्र में विवादित आराजी बाबत् किसी प्रकार के तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया, जिसे ध्यान मे रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है। उनका कथन है कि कमिश्नर नियुक्त करने का मामला अधीनस्थ न्यायालय का स्वविवेकीय अधिकारी है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा स्वविवेकीय विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3599/2005/भरतपुर तोताराम बनाम मंगली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण अप्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उक्त वाद के साक्ष्य वादी के स्तर पर लम्बित रहते प्रतिवादीगण प्रार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादीगण प्रार्थीगण की ओर से आराजी सम्बन्धी किसी प्रकार के कोई तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया, केवल मात्र प्रार्थनापत्र में यह अंकित कर देने से कि हम प्रतिवादीगण ने वादी की एक इंच भी जमीन नहीं दबा रखी है, मौके पर हमारे मकान बने हुए है, मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब करना न्यायोचित नहीं है। वैसे भी प्रकरण की परिस्थिति पर विचार कर यह न्यायालय का स्वविवेकीय अधिकार है कि वह मौका रिपोर्ट प्राप्त करे अथवा नहीं। हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा के लम्बित प्रकरण में साक्ष्य वादीगण के स्तर पर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्पष्ट प्रार्थनापत्र के माध्यम से मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3599/2005/भरतपुर तोताराम बनाम मंगली	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	